



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, जे.एल. नेहरु मार्ग पटना-1
Fax – 0612-2533314, Tel-0612-2533245
Email [id-rd-bihar@esic.in](mailto:rd-bihar@esic.in), website-www.esicbihar.in

पत्रांक- 42-A-33/13/1/2015-Estt.III

Dated:-23.03.2018

कार्यालय आदेश संख्या- 24 वर्ष 2018

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, पटना (बिहार) ने दिनांक- 20.03.2018 को संपन्न हुए पूरक विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारियों को Multi Tasking Staff Cadre (वेतनमान Pay Matrix, Level – 1, ₹18,000 – ₹41,100) से निम्न वर्गीय संवर्ग (वेतनमान Pay Matrix, Level – 2, ₹19,900 – ₹45,700) में नियमित प्रोन्नति का आदेश दिया है –


क्रम संख्या	नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती
1	श्री विजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक (तदर्थ)	बीमा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क० रा० बी० निगम, पटना
2	श्री शिव सुन्दर चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक (तदर्थ)	क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव कक्ष / हितलाभ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क० रा० बी० निगम, पटना
3	श्री प्रेम प्रकाश वर्मा, निम्न वर्गीय लिपिक (तदर्थ)	शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, बंजारी
4	श्री दीपक कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक (तदर्थ)	शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, मोकामा
5	श्री शिव चन्द्र चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक (तदर्थ)	शाखा कार्यालय, क० रा० बी० निगम, दरभंगा

1. उपर्युक्त कर्मचारियों को निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति आदेश निर्गत तिथि से अथवा अवकाश में रहने पर कार्य ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।
2. यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर गोपनीय शाखा को भेजें। नियमित प्रोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि उनसे कनीय कर्मचारी को इस पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वे कनीय कर्मचारी निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग की वरीयता सूचि में उनसे वरीय होंगे।
3. उपर्युक्त कर्मचारी की प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम 1959 जो समय समय पर संसोधित होते रहें हैं के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।
4. उक्त कर्मचारी के द्वारा FR(22)(1) A(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अन्दर कर सकते हैं।

P.T.O


5. यदि कर्मचारी का वेतन निर्धारण ACP/ MACP के अंतर्गत उपर्युक्त वेतन मान में किया जा चुका है तो उनके वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं होगा।
6. नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति प्रशासन शाखा को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जाये।

सेवा में,
सम्बंधित कर्मचारी


(संजीव कुमार)
उप निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि:

7. महानिदेशक (स्थापना-1), मुख्यालय, पंचदीप भवन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।
8. चिकित्सा अधीक्षक, एसिक आदर्श अस्पताल, फुलवारी शरीफ पटना।
9. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना
10. शाखाधिकारी हिंदी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना (अंग्रेजी अनुवाद हेतु)
11. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना
12. सभी शाखा प्रबंधक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बिहार क्षेत्र।
13. व्यक्तिगत संचिका/ गार्ड फाइल/ सूचना पट।


उप निदेशक(प्रशासन)